



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 454]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 2014/भाद्र 6, 1936

No. 454]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2014/BHADRA 6, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2014

सां.का.नि. 624(अ).- संवर्ग पुनर्गठन योजना, 2014 के अनुमोदन के फलस्वरूप, नीचे कॉलम (1) में यथा सूचीबद्ध प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (डीटीआरटीआई) के कार्यशील क्षेत्राधिकार में नीचे तालिका (2) में सूचीबद्ध संबंधित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (प्र.सीसीआईटी) के समग्र प्रादेशिक क्षेत्राधिकार शामिल होंगे:—

(1)	(2)
डीटीआरटीआई	प्र. सीसीआईटी (सीसीए) क्षेत्र
डीटीआरटीआई, अहमदाबाद	प्र. सीसीआईटी, गुजरात व प्र. सीसीआईटी, राजस्थान
डीटीआरटीआई, बंगलौर	प्र. सीसीआईटी, कर्नाटक एवं गोवा और प्र. सीसीआईटी, आंध्र प्रदेश
डीटीआरटीआई, चंडीगढ़	प्र. सीसीआईटी, एनडब्ल्यूआर
डीटीआरटीआई, दिल्ली	प्र. सीसीआईटी, दिल्ली
डीटीआरटीआई, चेन्नई	प्र. सीसीआईटी, तमिलनाडु एवं प्र. सीसीआईटी, केरल
डीटीआरटीआई, कोलकाता	प्र. सीसीआईटी, वेस्ट बंगाल एवं सिक्किम, प्र. सीसीआईटी, एनईआर और प्र. सीसीआईटी, ओडिशा
डीटीआरटीआई, पटना	प्र. सीसीआईटी, बिहार एवं झारखंड
डीटीआरटीआई, लखनऊ	प्र. सीसीआईटी, यूपी (वेस्ट) एवं उत्तराखंड और प्र. सीसीआईटी, यूपी (ईस्ट)
डीटीआरटीआई, भोपाल	प्र. सीसीआईटी, एमपी एवं छत्तीसगढ़ और प्र. सीसीआईटी, नागपुर
डीटीआरटीआई, मुंबई	प्र. सीसीआईटी, मुंबई और प्र. सीसीआईटी, पुणे

2. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एचआरडी/टीसीबी/620/2/2014-15/डा. सं. 491(ए)/2014-प्रशा. VII]

एम.एल. मीना, संयुक्त सचिव